

डा० राममनोहर लोहिया अवधि विश्वविद्यालय, अयोध्या

पत्रांक संख्या : लो०अ०वि०/सम्ब०/अनापत्ति/२०२०/ ७६५

दिनांक : २९. ०२. २०२०

अनापत्ति

शासनादेश संख्या 2103/सत्तर-२-२०१२- २(166)/२०१२ दिनांक: ०९ अगस्त, २०१२ के अन्तर्गत गठित समिति द्वारा शासनादेश दिनांक: १४ नवम्बर २०१४ के क्रम में अनापत्ति समिति की बैठक दिनांक २२. फरवरी २०२० में लिये गये निर्णय के अन्तर्गत संचालक सोसाइटी/ट्रस्ट/कम्पनी नरेन्द्र बहादुर एजूकेशनल सोसाइटी डेरामूसी बड़ागाँव परगना व तहसील सोहावल अयोध्या द्वारा प्रस्तावित श्री हरि नारायण सिंह शिक्षण संस्थान डेरामूसी बड़ागाँव, अयोध्या महाविद्यालय को स्नातक स्तर कृषि संकाय के अन्तर्गत बी०एस० सी० कृषि में स्वित्त पोषित योजनान्तर्गत संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों/अभिलेखों के कार्यालयी परीक्षण एवं शासनादेश दिनांक ०९.०८.२०१२ के क्रम में जिलाधिकारी जनपद सुलतानपुर के पत्रांक ७९१/एस०टी०सी० आर०ओ०/जाँच आख्या २०२० दिनांक २८ फरवरी २०२० के आधार पर शिक्षण कार्य प्रारम्भ करने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रदान की जाती है।

१. यह अनापत्ति सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी की भूमि सम्बन्धी राजस्व अभिलेखों की परीक्षण रिपोर्ट/संस्तुति दिनांक २३.०२.२०१९ के आधार पर निर्गत की जा रही है। तथापि महाविद्यालय के नाम भूमि के विधित: अंकित होने एवं भूमि/गाटों की संयुक्तता आदि के विसंगति की स्थिति में समस्त उत्तरदायित्व महाविद्यालय का होगा।
२. इस अनापत्ति के अन्तर्गत पाठ्यक्रम का संचालन ग्राम डेरामूसी परगना मगलसी तहसील सोहावल जनपद-अयोध्या स्थित ग्राम मरौचा तहसील रुदौली जनपद अयोध्या की खाता संख्या १२९ पर अंकित गाटा संख्या १क/४०/१.३९१हे०, सम्पूर्ण खाता संख्यस ६० पर अंकित गाटा संख्य १^१/४.४१८हे० २क/४५/३.३३८ हे०, २क/ब/०.१५५हे०, ३२/०.१०७हे०, २९३/०.०५१हे०, २९७/०.१७०हे०, २९९ख/०.११४हे०, ३००/१०.०५०हे०, ३०१/०.३९२हे०, ४४१/०.१३९हे०, ४४२/०.१९०हे०, ४४३/०.०६३हे०, ४४४/०.११४हे०, ४४५/०.११४हे०, ४४६/०.२५३हे०, ४४७/०.२५३हे०, ४५१/०.१०१हे०, ४५२/०.०२५हे०, कुल १८किता रकबा ११.०४०हे० का १/६ भाग रकबा १.८४१हे० व खाता संख्या ३१ पर अंकित गाटा संख्या १ह/०.५८०हे०, ८१८/०.०२५हे०, ८२६/०.२२१हे०, ८२७/०.२५३हे०, ८२८/०.१९६हे०, ८३०/०.२४०हे०, ८३१/०.१३९हे०, ८३२/०.१५८हे०, ८३४ख/०.०७६हे०, ८३३/०.०७६हे०, ८३६ख/०.०६३हे०, ८४३ख/०.१९०हे०, ८४४ग/०.०६३हे०, ८४५/०.०९५हे०, ८४६/०.२६०हे०, ८४७/०.१४५हे०, ८४८/०.२०८हे०, ८४९/०.१७७हे०, ८५२/०.०१३हे०, ८५१क/०.०३८हे०, ८५५/०.०७६हे०, ८५६/०.०३८हे०, ११६३/०.०८९हे०, ११७३/०.१५२हे०, ११७६/०.०४४हे०, ११७७/०.०७६हे०, ११७८ख/०.१५२हे०, ११७९ख/०.१७७हे०, ११८०/०.२५३हे०, ११७४/०.०७६हे०, ११८२/०.४४३हे०, ११८३/०.३७९हे०, ११८४ख/०३४हे०, ११८५/०.३४१हे०, ११८७/०.२९०हे०, ११८८/०.३१६हे०, ११८६ख/०.०२५हे०, ११८९/०.०८९हे०, ११९०/०.०६३हे०, ११९१/०.०५१हे०, व ८५१क/०.०३८हे० कुल ४१ किता रकबा ७.२३२हे० का १/२ भाग हरिनारायण सिंह शिक्षण संस्थान संचालित द्वारा नरेन्द्र बहादुर एजूकेशनल सोसाइटी डेरामूसी पोर्ड बाड़ागाँव जिला अयोध्या द्वारा प्रबन्धक राधवेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र स्वर्गीय नरेन्द्र बहादुर सिंह निवासी डेरामूसी परगना मगलसी अयोध्या के नाम अंकित हैं, पर राष्ट्रीय भवन संहिता २००५ के मानकानुसार निर्मित भवन में किया जायेगा। उक्त भिन्न भूमि/भूखण्ड पर महाविद्यालय के संचालन की स्थिति में उक्त अनापत्ति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
३. महाविद्यालय द्वारा याचित विषयों/पाठ्यक्रमों में मानकानुसार शिक्षकों का अनुमोदन होने के उपरान्त ही सम्बद्धता प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता प्रदान नहीं की जायेगी।
४. महाविद्यालय के सम्बद्धता हेतु निरीक्षण मण्डल का गठन हेतु आवेदन, निरीक्षण एवं अन्य कार्यवाहियाँ दिनांक: १४ नवम्बर २०१४ द्वारा निर्धारित समय सारिणी के अनुरूप सम्पन्न की जायेगी। शासनादेश द्वारा निर्धारित अवधि के उपरान्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

5. उक्त पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए स्टाफ के वेतन आदि पर पड़ने वाला समस्त व्ययभार संस्था द्वारा स्वयं अपने स्रोतों से बहन किया जायेगा। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय या राज्य सरकार से किसी प्रकार की सहायता/राज सहायता की मांग नहीं की जायेगी।
6. उपरोक्त पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त होने के बाद ●ही महाविद्यालय/संस्थान में प्रवेश एवं शिक्षण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त किये बिना प्रवेश की कार्यवाही कदापि प्रारम्भ नहीं की जायेगी। विश्वविद्यालय की सम्बद्धता प्राप्त किये बिना यदि महाविद्यालय/संस्थान द्वारा प्रवेश किये जायेगे तो महाविद्यालय/संस्थान के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी तथा अवैध रूप से प्रवेशित छात्रों की परीक्षाएं विश्वविद्यालय द्वारा नहीं कराई जायेगी।
7. पाठ्यक्रम की सम्बद्धता की स्वीकृति तभी दी जायेगी जब संस्थान/महाविद्यालय शासनादेश संख्या:-3075/सत्तर-2-2002-2(0166)/2002 दिनांक 27 सितम्बर, 2002 एवं समय-समय पर जारी अन्य तत्सम्बन्धी शासनादेशों में विनिर्दिष्टि मानकों एवं निर्देशों के अनुसार सभी आवश्यकतायें एवं औपचारिकताओं को पूर्ण कर लेगी।
8. संस्थान/महाविद्यालय भविष्य में भूमि, भवन अथवा अन्य किसी प्रकार की वित्तीय सहायता के लिये न तो उठोप्रो शासन या विश्वविद्यालय से मांग करेगी और न ही उसके द्वारा किये गये किसी कार्य के कारण उत्पन्न हुई वित्तीय दायित्वों की देनदारी राज्य सरकार अथवा विश्वविद्यालय की होगी।
9. उक्त पाठ्यक्रम के बाबत किसी लायबिलिटी से राज्य सरकार या विश्वविद्यालय का कोई सरोकार नहीं होगा।
10. राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार भूमि, भवन एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता सम्बद्धता से पूर्व संस्थान/महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
11. शासनादेश संख्या 09.08.2012 के अन्तर्गत प्राप्त अनापत्ति पर सम्बद्धता प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय द्वारा इस शर्त को सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रचालित वर्ष के 31 दिसम्बर (2019) हेतु 10 जनवरी 2020 के पश्चात् प्राप्त होने वाले अनापत्ति/निर्वाधन (किलयरेन्स) अगले शिक्षण सत्र के अनुगामी शिक्षण सत्र से देय होगी।
12. यह अनापत्ति वर्तमान अभिलेखों, पत्रजातों एवं अनापत्ति समिति की संस्तुति पर कुलपति जी के अनुमोदनोपरान्त/अनुमोदनानुसार निर्गत की जा रही है। यदि भविष्य में किन्हीं अभिलेखों, पत्रजातों इत्यादि में कोई परिवर्तन होता है या त्रुटि पायी जाती है तो इसके लिये सचिव, महाविद्यालय प्रबन्ध समिति जिम्मेदार होंगे तथा अनापत्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी एवं सचिव महाविद्यालय प्रबन्ध समिति के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक व अन्य कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय

उप कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक : उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव कुलपति, कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. प्रबन्धक, श्री हरि नारायण सिंह शिक्षण संस्थान डेरामूसी बड़ागाँव, अयोध्या।
3. पत्रावली।

४५०
उप कुलसचिव
२१/२०२२